NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

मानवता के विरुद्ध अपराध और भारतीय प्रवृति

www.nextias.com

मानवता के विरुद्ध अपराध और भारतीय प्रवृति

सन्दर्भ

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने मानवता के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड को नियंत्रित करने वाली प्रस्तावित संधि (CAH संधि) के पाठ को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।

मानवता के विरुद्ध अपराधों का परिचय

- ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सबसे गंभीर अपराधों में से कुछ हैं, जिनमें हत्या, विनाश, दासता, निर्वासन, यातना एवं बलात्कार जैसे कृत्य शामिल हैं, जो नागरिकों के विरुद्ध व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में किए जाते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

- मानवता के विरुद्ध अपराधों की अवधारणा को सर्वप्रथम 1945 के लंदन चार्टर में संहिताबद्ध किया गया था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए **नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल** की स्थापना की थी।
- इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक महत्त्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया, जिसने स्थापित किया कि व्यक्ति, न कि केवल राज्य, संघर्षों के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए उत्तरदायी हैं, चाहे उनकी आधिकारिक क्षमता कुछ भी हो।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण

- **रोम संविधि (1998):** इसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की, जिसका अधिकार क्षेत्र नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों पर है।
    - यह मानवता के विरुद्ध अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय के अधिदेश को रेखांकित करता है।
- **मानवता के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर मसौदा लेख:** अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) ने मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने और दंडित करने के उद्देश्य से मसौदा लेख विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    - ये लेख राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपराधीकरण, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की स्थापना और जाँच एवं अभियोजन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपायों का प्रस्ताव करते हैं।

प्रमुख तत्व

- **व्यापक या व्यवस्थित हमला:** ये कृत्य नागरिक जनसंख्या के विरुद्ध बड़े हमले का भाग होने चाहिए।
- **राज्य या संगठनात्मक नीति:** हमले के पीछे कोई नीति या योजना होनी चाहिए, जो यह दर्शाती हो कि यह यादृच्छिक नहीं है।
- **कार्यों के प्रकार:** इसमें हत्या, विनाश, दासता, निर्वासन, कारावास, यातना, बलात्कार और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल हैं।

मानवता के विरूद्ध अपराध (CAH) संधि की आवश्यकता

- नरसंहार एवं युद्ध अपराधों के विपरीत, जो क्रमशः 1948 के नरसंहार सम्मेलन और 1949 के जिनेवा सम्मेलनों द्वारा शासित होते हैं, मानवता के विरुद्ध अपराध **केवल ICC के रोम** संविधि के अंतर्गत आते हैं।
    - यह अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को जटिल बनाता है, विशेषकर उन देशों में जो रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं।

    - एक समर्पित CAH संधि न केवल व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी को संबोधित करेगी, बल्कि नरसंहार सम्मेलन के तहत दायित्वों के समान, ऐसे अपराधों को रोकने में विफल रहने के लिए राज्यों को जवाबदेह भी बनाएगी।
- **अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ:** ICC का अधिकार क्षेत्र इसके सदस्य देशों तक ही सीमित है, जिसका अर्थ है कि गैर-सदस्य देशों में किए गए अपराधों पर प्रायः कोई कार्रवाई नहीं होती।
    - यह एक व्यापक संधि की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो सभी देशों को नरसंहार सम्मेलन के तहत दायित्वों के समान मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए बाध्य करेगी।
- **राजनीतिक और कूटनीतिक बाधाएँ:** राजनीतिक गठबंधनों, प्रतिशोध की आशंकाओं या राष्ट्रीय संप्रभुता के बारे में चिंताओं के कारण राज्य अंतर्राष्ट्रीय जाँच में सहयोग करने या संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने में अनिच्छुक हो सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, शक्तिशाली राज्य अपने सहयोगियों को जवाबदेही से बचाने के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- **कार्यान्वयन और प्रवर्तन संबंधी मुद्दे:** विभिन्न देशों में मानवता के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कानूनी ढाँचे या राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।
    - भ्रष्टाचार, कमज़ोर न्यायिक प्रणाली और अपर्याप्त संसाधनों जैसे मुद्दों से यह जटिल हो जाता है, जो इन अपराधों की जाँच एवं अभियोजन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **पीड़ित और उत्तरजीवी सहायता:** विभिन्न उत्तरजीवी निरंतर आघात, कलंक और आर्थिक कठिनाई का सामना करते हैं।
    - उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, मनोवैज्ञानिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें न्याय प्रक्रियाओं में शामिल करना इन अपराधों को संबोधित करने के आवश्यक लेकिन अक्सर उपेक्षित पहलू हैं।

CAH पर भारत की स्थिति

- प्रस्तावित CAH संधि पर भारत की प्रवृति सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय तंत्र के बारे में इसकी व्यापक चिंताओं में निहित है।
- भारत रोम संविधि का पक्षकार नहीं है और ऐतिहासिक रूप से ICC के अधिकार क्षेत्र और राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना के बारे में आरक्षण व्यक्त करता रहा है।
- भारत एक संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन करता है जो जवाबदेही की आवश्यकता को संबोधित करते हुए राज्य की संप्रभुता का सम्मान करता है।

घरेलू विधिक ढाँचा

- वर्तमान में, भारत का घरेलू विधिक ढांचा मानवता के विरुद्ध अपराधों को विशेष रूप से संबोधित नहीं करता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने इस बात पर प्रकाश डाला, जिन्होंने कहा कि न तो मानवता के विरुद्ध अपराध और न ही नरसंहार भारत के आपराधिक कानून में सम्मिलित है।
- घरेलू कानून में CAH को शामिल करने से भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएगा और मानवाधिकारों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

निष्कर्ष और आगे की राह

- मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि पर बातचीत करने के लिए प्रस्ताव को अपनाना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

- संकल्प में 2026 और 2027 में तैयारी सत्रों का आह्वान किया गया है, जिसके पश्चात् संधि को अंतिम रूप देने के लिए 2028 और 2029 में वार्ता सत्र आयोजित किए जाएँगे।
- इस संधि से यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को व्यापक और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए।

Source: TH

■■■■

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. मानवता के विरुद्ध अपराध (CAH) पर एक समर्पित संधि की आवश्यकता क्यों है, और यह वर्तमान विधिक ढाँचे को कैसे पूरक बना सकता है? अपने व्यापक विदेश नीति उद्देश्यों के संदर्भ में CAH पर भारत की स्थिति का विश्लेषण कीजिए।